निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

प्रकरण संख्या 07/ अपील 14(4)/17 तारीख दायराः 01.03.2017

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

नानूबाई पुत्री छीतर जाति मेघवाल नि0 रसलूलपुरा तहसील पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत।

उपस्थितः— पेरोकार सरकार

श्री फिरोज अहमद (अभिभाषक रेस्पो0)

—: निर्णय :— दिनांकः 26.06.2018

उक्त प्रकरण न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के निर्णय दिनांक 22.09.2016 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रा0पत्र भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन)नियम 1970 के नियम धारा 14(4) के तहत ग्राम रसूलपुरा की आराजी ख0न0 568 रकबा 6.15 बीघा आराजी का आवंटन दिनांक 01.11.1977 को किया गया था । तहसीलदार पिड़ावा ने आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने पर आवटन निरस्त करवाने हेतु न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय हाजा में प्रकरण सख्या 210/अपील/2011 दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद सुनवाई दिनांक 01.05.2013 को तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी अप्रार्थी की गैर खातेदारी से खारिज की जाकर राजहक में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यंहा प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में बाद सुनवाई दिनांक 22.09.2016 को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलवी की गई व तहसीलदार पिड़ावा से आवश्यक रेकार्ड तलब किया गया अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि आंवटी का कब्जा आराजी नही होने व उसके द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने पर ही पूर्व में आवंटन निरस्त किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय उचित है। मौके पर कब्जा आराजी नही होने के बाबत पूर्व में

जिला कलक्टर
झालावाड़

पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.10.10 व 08.08.11 से पुष्टी होती है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के न्यायालय में वाद संख्या 125/03 में भी अप्रार्थिया द्वारा कब्जा आराजी नही माना जाकर वाद दिनांक 25.03.2010 को खारिज किया गया है। निर्णय पूर्ववत रखा जावे। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पिता को उक्त भूमि का आवंटन किया जाकर गैर खातेदारी में दर्ज किया गया था तत्पश्चात उसकी मृत्यु उपरान्त आवंटी की बेवा व तत्पश्चात अप्रार्थिया द्वारा बतोर खातेदार टेनेन्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थिया द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लघन नही किया गया है। आवंटन पश्चात आंवटन शर्तो की कोई अवहेलना नही की गई है। आवंटन खारिज किया जाकर भूमि को राजहक में दर्ज करने का आदेश गलत दिया गया है आंवटित भूमि पर उसके द्वारा नियमानुसार काश्त की गई है। आवंटन बहाल रखा जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया– प्रकरण में तहसीलदार पिड़ावा से रिपोर्ट मय दस्तावेज तलब की जाकर उसका अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट व खसरा गिरदावरी से भी यह दर्शित होता है कि आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात आवंटन की शर्तों की पूर्ण रूपेण पालना नही कि गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटित आराजी पर आवंटन पश्चात आवंटन की शर्तो की पूर्ण रूपेण पालना नही किया जाना साबित है। उपरोक्त विवेचन से हमारी राय में तत्समय प्रकरण संख्या 210/अपील/2011 निर्णय दिनांक 01.05.2013 में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से पूर्व आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 26.06.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़